न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 33 / 2020 / आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. दिनेश कुमार मावलिया पुत्र सायरसिह मावलिया जाति जाट निवासी बधाला की ढाणी (पलसाना) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. **श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम वकील प्रार्थी की ओर से।**

नि र्ण य **दिनांक — 10.02.2021**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3156, 3157, 3166 लगायत 3169 किता 6 कुल रकबा 2.39 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 2195 रकबा 0.0100 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 5010 / 2194 तथा भूमि खसरा नम्बर 2188, 2858, 5011 / 2194, 5013 / 2192, 5016 / 2193, 5018 / 2189, 5020 / 2853 किता 7 कुल रकबा 0.2200 है0 वाके ग्राम बधाला की ढाणी पटवार हल्का पलसाना तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से नाबालिग सुरेन्द्र पुत्र सायर दर्ज है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम दिनेश कुमार मावलिया पुत्र सायर सिंह मावलिया है जो कि सभी पहचान के दस्तावेजात आर्थात परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पास बुक आदि एवं अन्य समस्त रिकार्ड में दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र व नाबालिग सुरेन्द्र पुत्र सायर के नाम को दुरूस्त कर संशोधित करते हुए दिनेश कुमार मावलिया पुत्र सायरसिंह मावलिया दर्ज करवाया जाना अति आवश्यक है जो दुरुस्त किये जाने योग्य है व प्रार्थी को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी कई बार—बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों से निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। वाद कारण असरा करीब 10—11 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा आवेदक का नाम दुरूस्त करने से इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 3156, 3157, 3166 लगायत 3169 किता 6 कुल रकबा 2.39 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 2195 रकबा 0.0100 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 5010 / 2194 तथा भूमि खसरा नम्बर 2188, 2858, 5011 / 2194, 5013 / 2192, 5016 / 2193, 5018 / 2189, 5020 / 2853 किता 7 कुल रकबा 0.2200 है0 वाके ग्राम बधाला की ढाणी पटवार हल्का पलसाना तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम नाबालिग सुरेन्द्र व सुरेन्द्र पुत्र सायर के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम दिनेश कुमार मावलिया पुत्र सायर सिंह मावलिया संशोधित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम नाबालिग सुरेन्द्र व सुरेन्द्र पुत्र सायर के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम दिनेश कुमार मावलिया पुत्र सायरसिह मावलिया संशोधित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम बधाला की ढाणी के खाता सं0 133, 149, 15. 45 जमाबन्दी संवत 2076–79 में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र पुत्र सायर जाति जाट के नाम दर्ज है। प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नामा0 सं0 434 से नाम सुरेन्द्र पुत्र सायर दर्ज हुआ है नामा0 सं0 434 के लिए दिये गये वारिश प्रमाण पत्र में प्रार्थी के नाम दिनेश दिये गये नाम वारिस प्रमाण पत्र मे प्रार्थी का नाम दिनेश को काटकर सुरेन्द्र किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत भदाला की ढाणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सुरेन्द्र मावलिया व दिनेश कुमार मावलिया एक ही व्यक्ति के दो नाम है। प्रार्थी द्वारा 10वी व 12 वी की मार्कसीट मेश की जिसमें भी प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार मावलिया पुत्र सायरसिंह मावलिया दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। प्रार्थी का आवदेन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 3156, 3157, 3166 लगायत 3169 किता 6 कुल रकबा 2.39 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 2195 रकबा 0.0100 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 5010/2194 तथा भूमि खसरा नम्बर 2188, 2858, 5011/2194, 5013/2192, 5016/2193, 5018/2189, 5020/2853 किता 7 कुल रकबा 0.2200 है0 वाके ग्राम बधाला की ढाणी पटवार हल्का पलसाना तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र पुत्र सायर व नाबालिग सुरेन्द्र के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम सुरेन्द्र उर्फ दिनेश कुमार मावलिया पुत्र सायर सिह मावलिया दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ